



Neutral Citation No. – 2026:AHC:17209

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 5443/2025

अशोक कुमार

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 78 अन्य

उत्तरदाता

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| याचिकाकर्ता के वकील | : अरविन्द सिंह, विनय कुमार यादव |
| प्रतिवादी के वकील   | : आज़ाद राय, सीएससी             |

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लेखराज सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय की दलीलें सुनीं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:--

"(I) प्रतिवादी संख्या 2- राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को यूपीजेडए और एलआर अधिनियम की धारा 333 के तहत मामला संख्या आरईवी/209/2009/2010, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या **AL2010020399431** (राज नारायण और अन्य बनाम एलएमसी और अन्य) का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर करने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता और अन्य लोगों द्वारा वर्ष 2010 में दायर की गई पुनरीक्षण याचिका प्रतिवादी संख्या 2-राजस्व बोर्ड के समक्ष अभी भी लंबित है। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण याचिका यूपीजेडए एवं एल.आर. अधिनियम की धारा 198 (4) के तहत कार्यवाही से संबंधित है। उन्होंने यह भी बताया कि एक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुनरीक्षण याचिका लंबित है।

15 वर्ष। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की, जिसे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न किया गया है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले की कार्यवाही में तेजी नहीं आ रही है।

4. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का अंतिम निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2- बोर्ड को निर्देश दिया जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग, प्रयागराज, उपर्युक्त लंबित पुनरीक्षण संख्या REV/2090/2009/2010 कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या AL2010020399431 का निर्णय कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद करे।

**22 जनवरी, 2026**

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

#### अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"